भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1123

उत्तर देने की तारीख 29 जुलाई, 2024

सोमवार, 7 श्रावण, 1946 (शक)

महाराष्ट्र में कौशल विकास केंद्र

1123. डॉ. नामदेव किरसान:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करने और उन्हें आजीविका के लिए आत्म-उन्मुख बनाने तथा उनकी प्रतिभा का दोहन करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सहित देश के विभिन्न राज्यों में और अधिक कौशल विकास केंद्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उस पर वर्ष-वार स्वीकृत/व्यय की गई धनराशि क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा महिलाओं को कौशल विकास प्रदान करने के लिए क्या-समुचित कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) भारत सरकार, कुशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर के समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल युक्त करके भविष्य के लिए तैयार करना है। इन स्कीमों के अंतर्गत, देश भर में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण केंद्र (टीसी) स्थापित किए जाते हैं। एमएसडीई की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में टीसी की संख्या निम्नानुसार है:

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	पीएमके वीवाई केंद्र	जेएसएस केंद्र	एनएपीएस स्थापना	आईटीआई	
				सरकारी आईटीआई	प्राइवेट आईटीआई
महाराष्ट्र	585	21	8,235	422	620

(ग) व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त उपकरण/औजारों का उपयोग कौशल विकास कार्यक्रमों का एक अनिवार्य घटक है। पीएमकेवीवाई 4.0 दिशानिर्देशों के अंतर्गत सभी प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) के पास संबंधित क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) द्वारा निर्दिष्ट अनिवार्य उपकरण और मशीनरी होना आवश्यक है। बैच के दौरान प्रत्येक जॉब रोलों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा/टूल्स और उपकरणों की अनुपलब्धता की स्थिति में जुर्माने का प्रावधान है। जेएसएस स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा लक्षित समूह के आवास समीप स्थित उनकी अवसंरचना में प्रदान किया जाता है। टूल्स और उपकरणों और अन्य कार्यालय अवसंरचना की खरीद के लिए नए जेएसएस की स्वीकृति के समय 20.00 लाख रुपये की एकमुश्त गैर-आवर्ती अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा मंत्रालय ने 30 जेएसएस के औजारों और उपकरणों को अपग्रेड किया है ताकि उन्हें मॉडल जेएसएस के रूप में स्थापित किया जा सके।

एमएसडीई की स्कीमों के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 के दौरान जारी की गई निधि का वर्ष-वार ब्योरा निम्नानुसार है:

स्कीम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
एनएपीएस	41.62	47.60	107.64	241.60	335.67	632.82
पीएमकेवीवाई	1490.09	1857.89	1240.45	696.05	291.78	712.13
जेएसएस	68.06	111.98	107.67	137.63	154.65	154.38

आईटीआई का दैनिक प्रशासन के साथ-साथ वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन होता है।

(घ) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के विशेष प्रावधानों के साथ समाज के सभी वर्गों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। पीएमकेवीवाई के तहत महिलाओं को परिवहन लागत और भोजन और आवास की सुविधा प्रदान की जा रही है।देश में 300 से ज़्यादा महिला आईटीआई और 19 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) हैं जो सिर्फ़ महिलाओं के लिए हैं। इसके अलावा, आईटीआई में 30% सीटें संबंधित राज्य की सामान्य आरक्षण नीति के अधीन महिला शिक्षुओं के लिए आरक्षित हैं। जेएसएस स्कीम के अंतर्गत महिलाओं और अन्य कमज़ोर वर्गों पर ध्यान दिया जा रहा है।

*****